

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2000

जयपुर, दिनांक

19 AUG 2021

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.03.2002 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमोदित तिजारा मास्टर प्लान-2021 की समयावधि दिनांक 31.12.2021 को समाप्त हो रही है, को एतद्वारा दस वर्ष अर्थात् 31.12.2031 तक बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.09.2000 के द्वारा अधिसूचित, "तिजारा नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


18/8/2021
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, अलवर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, तिजारा।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 19/8/21 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

11
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय